रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1424] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 2007/कार्तिक 25, 1929
No. 1424] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2007/KARTIKA 25, 1929

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2007

का.आ. 1955(अ).—सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 1 दिसम्बर, 2007 को उस तिथि के रूप में निर्धारित करती है जिस तिथि को उक्त अधिनियम की धारा 7(क), (ख) (ग) (घ), 8, 9, 10 तथा 20 के उपबंध लागू होंगे ।

[फा. सं. पी-16011/07/2005-पी एच]

भवानी त्यागराजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2007.

S.O. 1955(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby appoints 1st day of December, 2007 as the date on which the provisions of Section 7(1) (2) (3) (4), 8, 9, 10 and 20 of the said Act shall come into force.

[F. No. P-16011/07/2005-PH]

BHAVANI THYAGARAJAN, Jt. Secy.

4647 GI/2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.